अधिसूचनाएं –

1. नगर सर्वेक्षकों के कर्तव्य
2. पूर्त प्रयोजन
3. राजस्व वर्ष
4. धारा 58 क के अधीन भू–राजस्व की देयता से विमुक्त
5. पूर्व धारा 41 के अधीन बने नियमों का नए नियम बनने तक प्रवृत्त रहना।
6. धारा 155 (ज) के अधीन पर्यटन निगम एवं पर्यटन बोर्ड अधिसूचित
7. राज्यपाल द्वारा संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5(1) के अधीन संहिता की धारा 165 (ङङ) एवं धारा 172 (6क) का विलोपन
8. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–सर्वेक्षण एवं भू–अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 16, 17, 18, 20 एवं 21 के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित किया जाना।
9. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 121 के अधीन मामले की फीस निर्धारित किया जाना।
10. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 31 (4) के अधीन अधिसूचित वेबसाइट।

(20)

[illegible]

[illegible]

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड (उन्नीस) के साथ पठित [illegible] उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषणा करती है कि नगर सर्वेक्षकों के अन्य कर्तव्यों को विहित करने वाले नियम बनाए जाने तक अधिसूचना क्रमांक 3284-379-नौ-66 दिनांक 25 नवम्बर, 1967, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 956-3550-नौ दिनांक 16 अप्रैल, 1971 द्वारा बनाए गए, पटवारियों के अन्य कर्तव्य विहित करने वाले नियम, नगर सर्वेक्षकों को यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रवृत्त होने अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

क्र. एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6, दिनांक 07 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 7th September, 2018

No. F. 2-9/2018/VII/Se.6- In exercise of the powers conferred by clause (xix) of sub-section (2) of section 258 read with sub-section (2) of section 104 of the said Code, the State Government, hereby, declares that the rules prescribing other duties of Patwaris made vide notification number 3284-379-IX-66 dated 25th November, 1967 as amended by notification number 956-3550-IX dated 16th April, 1971, shall apply *mutatis mutandis* to Nagar Sarvekshaks till the rules prescribing other duties of Nagar Sarvekshaks are made.

2. This notification shall come into force on the commencement of the Madhya Prad Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No.23 of 2018) that is 25th September, 20

By order and in the name of the Governor of Madhya Prade
HARI RANJAN RAO, Princi

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2-9/2018/सात/शा.6- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 59 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड (च) के अधीन किसी प्रयोजन के रूप में [illegible] प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग अधिसूचित करती है। [illegible] शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांगजनों के लिए संस्थान, अनाथालय, बालिकाओं एवं कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास या वृद्धाश्रम की स्थापना करना।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रवृत्त होने अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

पृ.क्र.0 एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6, दिनांक 07 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 7th September, 2018

No. F. 2-9/2018/VII/Se.6- In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of section 59 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, notifies the use of land for 'charitable purpose' as a purpose under the said clause (f). The charitable purpose means establishment of an institute for physically and mentally challenged persons, an orphanage, a hostel for girls and working women or an old age home.

2. This notification shall come into force on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No.23 of 2018) that is 25th September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

965

[illegible]

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5259-290 सात-एन-नियम दिनांक 30 मई 1960 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अप्रैल के प्रथम दिन को उस दिन के रूप में नियत करती है जिसको राज्य के भीतर समाविष्ट समस्त क्षेत्र में राजस्व वर्ष प्रारंभ होगा।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रारंभ होने अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

पृ.क्र. एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6, दिनांक 07 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 7th September, 2018

No. F. 2-9/2018/VII/Se.6- In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (1) of section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) *and in supersession of the this department's Notification No. 5259-290 VII-N-Rules dated* 30th May, 1960, the State Government, hereby, appoints the first day of April on which the 'revenue year' shall commence throughout the area comprised within the State.

2. This notification shall come into force on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No.23 of 2018) that is 25th September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

क्र. 2-9/2018/सात/शा.6- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 58-क के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि उक्त संहिता की धारा 59 के अधीन, ग्राम में,-

(क) [illegible] वर्ग मीटर से अनधिक की कोई भूमि जो [illegible] आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है, या

(ख) 40 वर्ग मीटर से अनधिक क्षेत्र की कोई भूमि जो वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है;

जो किसी विकास योजना की सीमा के बाहर स्थित है, के संबंध में कोई भू-राजस्व देय नहीं होगा तथा कोई प्रीमियम अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रवृत्त होने अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

पृ0क्र0 एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6, दिनांक 07 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 7th September, 2018

No. F. 2-9/2018/VII/Se.6- In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 58-A of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, notifies that no land revenue shall be payable and no premium shall be imposed under section 59 of the said Code, in respect of any land,-

(a) not exceeding 200 square meters which is used exclusively for the purpose of dwelling house; or

(b) not exceeding an area of 40 square meters which is used for commercial purpose;

in a village which is situated beyond the limits of any development plan.

2. This notification shall come into force on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No.23 of 2018) that is 25th September, 2018

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38 भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2018—भाद्र 30 शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959, (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 263 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश करती है, कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23

[illegible] 2018) के द्वारा उक्त संहिता की धारा 41 के विलोपित किए जाने के [illegible] पूर्व [illegible] समस्त नियम उक्त संहिता की धारा 258 के अंतर्गत बनाये गये [illegible] और उक्त संहिता के प्रावधानों के अनुसार नए नियमों द्वारा जब तक वे [illegible] परिवर्तित नहीं कर दिये जाते, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू रहेंगे।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रवृत्त होने अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6 दिनांक 20 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, dated 20th September, 2018

No. F.- 2-9/2018/VII/Se.6

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 263 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, directs that all rules made under section 41 of the said Code immediately prior to its deletion by the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No. 23 of 2018), shall be deemed to be made under section 258 of the said Code and shall apply mutatis mutandis till annulled or altered by new rules in accordance with the provisions of the said Code.

2. This notification shall come into force on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2018 (No. 23 of 2018) that is 25th September, 2018.

By order and the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

·97

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2019

क्रमांक एफ 2-3-2019-सात-शा. 7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 155 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य सरकार के स्वामित्व और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम और मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड को अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2019

क्रमांक एफ 2-3-2019-सात-शा. 7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 2-3-2019-सात-शा. 7, दिनांक 13 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal the 13th June 2019

No. F-2-3-2019-VII-S 7.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of Section 155 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby, notifies Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation and Madhya Pradesh Tourism Board, that are owned and controlled by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 जनवरी 2020—पौष 18, शक 1941

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2020

क्र. एफ—2—5—2019—सात—शाखा—7.— भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 5 के उप—पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, यह निर्देश देते हैं कि मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6 ड.ड.) के उपबंध तथा उक्त संहिता की धारा 172 की उपधारा (6—क) के उपबंध, जो अधिसूचना क्रमांक एफ. 16—1—81—दो—पच्चीस, दिनांक 15 अप्रैल, 1981 द्वारा अंतःस्थापित किए गए थे, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 37—4—सात—2—84 द्वारा यथा संशोधित है, जो राज्य में अधिसूचित क्षेत्र में लागू हैं, विलोपित किए जाएं तथा उक्त अधिसूचना की उपधारा (6—च) में कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "(6—ड.ड.)" के स्थान पर, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "(6—ड.)" स्थापित किए जाएं.

लाल जी टंडन
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2020

क्र. एफ—2—5—2019—सात—शा.—7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित अधिसूचना क्रमांक एफ. 2—5—2019—सात—शा.—7, दिनांक 2 जनवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

— 2 —

971

Bhopal, the 2nd January 2020

No. F-2-5-2019-VII-Sec. 7.- In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of Paragraph 5 of the Fifth Schedule of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to direct that the provisions of sub-section (6-ee) of Section 165 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and the provisions of sub-section (6-a) of Section 172 of the said Code which were inserted *vide* Notification No. F. 16-1-81-II-XXV, dated the 15th April, 1981 as amended *vide* this department's Notification No. 37-4-VII-2-84 applicable in the Scheduled Area in the State, shall be deleted and in sub-section (6-f) of the said notification, for the bracket, figure and alphabets "(6-ee)", the bracket, figure and alphabet "(6-e)" shall be substituted.

LAL JI TANDON
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2020

क्र. एफ-2-3-2020-सात-शा.7.--मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 66 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त संहिता के उपबंधों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 16, 17, 18, 20 तथा 21 के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियाँ, समस्त सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में, आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा भू-सर्वेक्षण के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में, अपनी-अपनी अधिकारिता में निहित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2020

क्र. एफ-2-3-2020-सात-शा.7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2-3-2020-सात-शा.7, दिनांक 17 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

Bhopal, the 17th July 2020

No. F. 2-3-2020-VII-Sec.-7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 66 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, invests the powers of district Survey Officer under rule 16, 17, 18, 20 and 21 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020 made under the provisions of the said Code in all Assistant Survey Officers in the areas notified by the Commissioner, Land Records, Madhya Pradesh under land Survey within their respective jurisdiction.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SRIKANT PANDEY, Addl. Secy.

973

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-10-2019-सात-शाखा-7 भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2020

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 के अधीन विरचित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, किसी राजस्व मामले के लिए आदेशिका फीस या प्रकरण फीस, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 के नियम 418 (क) के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 नवम्बर, 2018 में प्रकाशित, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक A/3957 दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 के अनुसार होगी, जो वर्तमान में रूपए 100/- प्रति प्रकरण है तथा यह समय-समय पर उच्च न्यायालय की अधिसूचनाओं के अनुसार परिवर्तनीय होगी। आदेशिका फीस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साईबर कोषालय में, न कि नगद, मुख्य शीर्ष 0029-00-800 अन्य प्राप्तियां 0018- राजस्व न्यायालय प्रकरण पंजीयन तथा आदेशिका के लिए फीस में संदत्त की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2020

क्र. एफ-2-10-2019-सात-शा-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-10-2019-सात-शा-7, दिनांक 24 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

974

No. F-2-10-2019-VII-Sec-7 Bhopal, the 24th July 2020

In exercise of the powers conferred by Rule 121 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nyayalayon Ki Prakriya) Niyam, 2019 framed under Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the process fee or case fee for a Revenue Case shall be in accordance with the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur Notification No. A/3957 dated 30 October, 2018, published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 16th November, 2018 as per Rule 418 (A) of the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961 which at present is Rupees 100/- per case and it shall be alterable as per the notifications of the High Court from time to time. The process fee shall be paid in MAIN HEAD 0029-00-800 Other Receipts 0019-Fee for Revenue Court case registration and processing in cyber treasury by electronic means but not in cash.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SRIKANT PANDEY, Addl. Secy.

975

राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2021

क्र. 2–11–2020–सात–शा.7.– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2–क) एवं (2–ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाये गये मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 31 के उपनियम (4) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वेबसाइट https://rcms.mp.gov.in को ऐसी वेबसाइट अधिसूचित करती है, जिस पर उक्त संहिता के अधीन राजस्व अधिकारी या राजस्व न्यायालय के द्वारा जारी की जाने वाली उद्घोषणाएं अनिवार्यतः अपलोड की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2021

क्र. एफ. 2–11–2020–सात–शा.7.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2–11–2020–सात–शा.7, दिनांक 23 जनवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd January 2021

No. F.2-11-2020-VII-Sec.7.- In excercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Rule 31 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasav Sanhita (Rajasav Nyayalayon ki Prakriya) Niyam, 2019 made under sub-section (2-a) and (2-b) of Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, notifies website http://rcms.mp.gov.in as the website on which proclamations issued by the Revenue Officers or Revenue Courts under said Code, shall be compulsorily uploaded.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

क्र. 2–11–2020–सात–शा.7 भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2021

प्रति,

कलेक्टर (समस्त),
मध्यप्रदेश.

विषय: मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के संबंध में स्थायी निर्देश.

राजस्व विभाग की अधिसूचना एफ 2–2–2019–सात–शा.7 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 जारी किए गए हैं. उक्त नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील हो गए हैं.

2. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 2 परिभाषा के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में परिभाषित किया गया है कि "इलेक्ट्रानिक संदेश सेवा" से अभिप्रेत है ई–मेल द्वारा या ऐसे इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुज्ञात किया जाए, संदेश दिया जाना.

3. अतएव, राज्य सरकार उक्त प्रावधान के अनुसरण में, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन इलेट्रानिक संदेश सेवा अंतर्गत Email id-rcms.info@mp.gov.in से प्रेषित ई–मेल, SMS ID- MPRCMS से प्रेषित एसएमएस (SMS) तथा वाट्सएप (Whatsapp) नम्बर 9407299468 के माध्यम से प्रेषित संदेश को अनुज्ञात करती है. अतः राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया संचालन में जहाँ–जहाँ आवश्यक हो, इलेक्ट्रानिक सेवा संदेश सेवा के लिए उक्त माध्यमों का उपयोग किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

976